दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 11 जुलाई, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे राजनिवास, दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग
   उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री बलविंदर कुमार

सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
4. श्रीमती नैनी जयसीलन
   सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
5. श्री जितेंद्र कुमार कोचर

सचिव

श्री एस.एन.गुप्ता
आयुक्त (प्रभारी)/सचिव

विशेष आमंत्रितगण एवं वरिष्ठ अधिकारी

1. श्री एस.के.श्रीवास्तव
   मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. श्रीमती नूतन गुहा बिस्वास
   उप राज्यपाल, दिल्ली की प्रधान सचिव
3. श्री राजेंद्र कुमार

सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

4. श्री टी.श्रीनिधि

प्रधान आयुक्त (आवास, भूमि निपटान, राष्ट्रमंडल खेल), दि.वि.प्रा.

5. श्री दयानंद कटारिया

प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक एवं प्रणाली), दि.वि.प्रा.

6. श्री एस. कुमारस्वामी

आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

7. श्रीमती स्वाति शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली की अपर सचिव

8. डॉ. सिमी मल्होत्रा

उपराज्यपाल, दिल्ली की सलाहकार (मीडिया, शिक्षा, कला संस्कृति और भाषा)

9. श्री आर.एन.शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव

10. श्री अजय चौधरी

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी

11. श्री एम.के.गुप्ता

आयुक्त (भूमि निपटान), दि.वि.प्रा.

12. श्री बृजेश कुमार मिश्रा

आयुक्त (भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा.

13. श्री अनिल कुमार शर्मा

मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा.

14. श्री शमशेर सिंह

मुख्य नगर योजनाकार, एनडीएमसी एवं एसडीएमसी

15. श्री सुनील मेहरा

मुख्य नगर योजनाकार, ईडीएमसी

16. श्री पी.एम.पराते

अपर आयुक्त (योजना) टीबी एवं सी, दि.वि.प्रा.

17. श्री आर.के.जैन

अपर आयुक्त (योजना) एम पी एवं यूई, दि.वि.प्रा.

18. श्री एस.पी.पाठक

अपर आयुक्त (योजना) एपी एवं एमपीआर, दि.वि.प्रा.

19. श्री एस.बी.खोदनकर
    निदेशक (योजना) एमपी, दि.वि.प्रा.
20. डॉ. के.श्रीरंगन
    निदेशक, यूटीपैक, दि.वि.प्रा.
21. श्रीमती नीमो धर
    सलाहकार (जन संपर्क), दि.वि.प्रा.

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद सं.100/2014:</u>

दिनांक 26.06.2014 को राजनिवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(2)2014/एमसी/डीडीए

मद सं. 75/2014 के संबंध में, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दि.वि.प्रा. को सख्त आदेश दिए है कि रोहिणी योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को चार माह की अवधि के भीतर विकसित प्लॉट आबंटित किए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय अवमानना की कार्यवाही कर सकता है। इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि बरवाला किसानों के मामले को पाँच गाँवों की तर्ज पर विचार किया जाए, जिसके लिए प्राधिकरण ने विशेष पुनर्वास पैकेज के भुगतान का निर्णय लिया है। माननीय उपराज्यपाल ने उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. को सलाह दी है कि प्राधिकरण की अगली बैठक में बरवाला गाँव के संबंध में पृथक एजेंडा प्रस्तुत करें।

मद सं.76/2014 के संबंध में अर्थात् "राजनिवास में दिनांक 09.05.2014 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि" मद सं.55/2014 के लिए संक्षिप्त विचार विमर्श के बाद पहले आवश्यक विवरण के साथ आईटीपीओ से प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। तब तक, दर्ज निर्णय को लंबित रखा

जाए।" केवल दिनांक 09.05.2014 (मद सं.55/2014) के कार्यवृत्त के पैरा-5 से संबंधित। शेष यथावत हैं।

माननीय उपराज्यपाल ने निदेश दिया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि को प्रस्तावित संशोधन सहित प्राधिकरण की अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए।

उक्त को ध्यान में रखते हुए दिनांक 26.06.2014 को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि नहीं की गई।

मद सं.101/2014:

राजनिवास में दिनांक 09.05.2014 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2014/एमसी/डीडीए

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.05.2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया।

मद सं.102/2014:

भूमि-उपयोग का प्रस्तावित परिवर्तन (सी.एल.यू.):-

i. **योजना क्षेत्र-'ई' में 1,99,005.10 वर्ग मीटर क्षेत्र को कार मेंटेनेंस डिपो के निर्माण के लिए और एमआरटीएस, फेज़-III हेतु विनोद नगर (पूर्व) में पेट्रोल पंपों के पुनर्स्थापन के लिए आंशिक 'मनोरंजनात्मक' और आंशिक 'आवासीय' से 'परिवहन' (डिपो और दो ईंधन स्टेशन/पेट्रोल पंप) में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।**
ii. **18,396.96 वर्ग मीटर क्षेत्र को 'मनोरंजनात्मक' से 'परिवहन' में (बस डिपो)।**
iii. **11635.34 वर्ग मीटर क्षेत्र को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए ईडीएमसी को आबंटन हेतु'मनोरंजनात्मक' से 'परिवहन' में।**

एफ.20(4)2012/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद सं. 103/2014:

आईजीएल द्वारा ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में सीएनजी स्टेशन हेतु प्रस्ताव
एफ.3(30)/2006-एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 104/2014:</u>

फ्लैटों की मानक लागत-1 अप्रैल,2014 से 30 सितंबर, 2014 तक प्रभावी निर्माण की कुरसी क्षेत्रफल दर।
एफ.21(1671)2001/एचएसी/पार्ट.II

एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 105/2014:</u>

योजना ज़ोन-एफ में एम्स ट्रॉमा सेंटर के विस्तार हेतु 6.80 हैक्टे. की भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन।
एफ.20(2)2010/एमपी/डी

माननीय उप राज्यपाल हरित क्षेत्र का फैलाव और इस निर्णय से प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। विस्तृत चर्चा के बाद एजेंडा मद पर विचार अतिरिक्त जाँच हेतु 'आस्थगित'कर दिया है। इसके अलावा, बोर्ड चाहता था कि इस प्लॉट/क्षेत्र का मौके पर निरीक्षण योजना विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाए।

<u>मद सं.106/2014:</u>

दि.वि.प्रा. में वाणिज्यिक प्लॉटों के संबंध में रिजर्व मूल्यों का निर्धारण।
एफ.पीएस/पीसी (एलडी)2014/कॉम.प्रोपर्टीज़/5/पार्ट.फाइल

विस्तृत चर्चा के बाद, प्राधिकरण द्वारा एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का 'अनुमोदन'किया गया। तथापि, यह भी तय किया गया था कि इस नीति का 6 महीने बाद पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

<u>मद सं.107/2014:</u>

निजी भू-स्वामियों के साथ बातचीत के माध्यम से दि.वि.प्रा. द्वारा भूमि की खरीद हेतु नीति।
एफ.9(6)/2014/एनएल-1/डीडीए

विस्तृत चर्चा के बाद, एजेंडा मद पर विचार अतिरिक्त जाँच हेतु 'आस्थगित'कर दिया गया।

मद सं.108/2014:

ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का आबंटन - जे.जे. समूहों के पुनर्वास हेतु विशेष पैकेज।
एफ.पीएस/पीसी/डीडीए/2013/ईडब्ल्यूएस/एच-4

माननीय उपराज्यपाल ने कट-ऑफ तिथि के संबंध में एजेंडा मद के पैरा 6 के बारे में पूछा। विचार-विर्मश के बाद, बोर्ड ने निर्णय लिया कि दि.वि.प्रा. को मामले को जीएनसीटीडी को संदर्भित करना चाहिए और दि.वि.प्रा. और जीएनसीटीडी द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया जाना चाहिए। एक कॉमन पॉलिसी को दो महीने के भीतर तैयार किया जाना चाहिए।

विस्तृत चर्चा के बाद, एजेंडा मद पर विचार 'आस्थगित' कर दिया गया।

मद सं.109/2014:

वर्ष 2013-14 और 2014-15 हेतु रोहिणी फेज़ IV एवं V के संबंध में पूर्वनिर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण।
एफ.4(43)2013/एओ(पी)/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मद सं.110/2014:

मंडोली, पूर्वी दिल्ली में 42713.52 वर्ग मीटर भूमि में से आंशिक भूमि के संबंध में भूमि उपयोग को 'मनोरंजनात्मक' से 'पीएसपी (स्कूल एवं कब्रिस्तान)' में परिवर्तन का प्रस्ताव।
एफ.20(6)/2006/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।